संख्या-2056 /चार-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2021

विषय-विभिन्न विधाओं/कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय योगदान करने वाले तथा देश-विदेश में प्रदेश का गौरव स्थापित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विभिन्न विधाओं एवं कार्यक्षेत्रों यथा-कला एवं संस्कृति, कृषि, शिक्षा आदि में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के ख्यातिलब्ध महानुभावों को 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' प्रदान किये जाने हेतु 'उ0प्र0 गौरव सम्मान नियमावली-2021' निम्नवत् अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. उद्देश्यः उत्तर प्रदेश के ऐसे ख्यातिलब्ध महानुभावों, जिन्होंने विभिन्न विधाओं एवं कार्य क्षेत्रों यथा-कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाजसेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास आदि में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया है, को 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' से अलंकृत करना है।

2. विधाएं: 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान किया जायेगा:-

(क) शास्त्रीय संगीत/लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य)/ ललित कलायें/ नाट्य विधायें/फिल्म व मीडिया।

(ख) समाजसेवा, समाज कल्याण, युवा कल्याण, महिल कल्याण एवं दिव्यांग कल्याण।

(ग) कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, गोसेवा, पशुपालन, वन ए वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण आदि।

(घ) उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वावलंबन।

(ड.) अन्य क्षेत्रों (यथा शिक्षा, साहित्य, विज्ञान ा प्रौद्योगिकी, खेल इत्यादि के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने व महानुभाव), जिन्हें स्क्रीनिंग समिति सुपात्र समझे।

3. **अधिकतम संख्या एवं धनराशिः** बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित विधाओं एवं अन्य क्षेत्रों के अधिकतम 04 विशिष्ट व्यक्तियों को 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' से अलंकृत किया जायेगा। एक बार पुरस्कृत होने पर वह कलाकार इसी सम्मान के लिए दूसरी बार विचारणीय नहीं होगा। उ0प्र0 गौरव सम्मान के अन्तर्गत चयनित/ पुरस्कृत महानुभावों को रु0 11.00 लाख (रु0 ग्यारह लाख मात्र) नकद धनराशि, अंगवस्त्र एवं ताम्रपत्र/मोमेन्टो भेंट स्वरुप प्रदान किया जाएगा।

4. **अर्हताएंः** 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' प्रदान करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत विचार हेतु संबंधित विधा/ विधाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य महानुभावों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की जा रही हैं :-

(क) उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

(ख) विभिन्न विधाओं/कार्य क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घ साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो।

(ग) जिन्होने देश एवं विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो।

(घ) राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस पुरस्कार की पात्रता परिधि में नहीं रखा जायेगा।

5. **नामांकन प्रक्रियाः** 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से नामांकन प्राप्त किया जाना विचारणीय हैः-

(क) प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जिलाधिकारी से नामांकन प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों/विधाओं से संबंधित नामांकन संबंधित विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के माध्यम से एवं मान्यता प्राप्त पंजीकृत संगीत, नृत्य, नाट्य/फिल्म व मीडिया की शिक्षण व प्रदर्शन संस्थाओं व अन्य स्रोतों से प्राप्त नामांकन भी निर्धारित तिथि तक निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर चयन समिति का गठन कर नाम प्रस्तावित कर सकता है। नामांकन का प्रारुप निर्धारण एवं समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा की जायेगी।

(ख) प्रारम्भ में संस्तुतकर्ता द्वारा नामांकित व्यक्ति/कलाकार की विशिष्ट उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा।

(ग) निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले नामांकनो का परीक्षण निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त समस्त नामांकन पत्रों का विभिन्न विधा क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण किया जायेगा। निदेशक, संस्कृति द्वारा प्राप्त नामांकनों का परीक्षण कर प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

6. स्क्रीनिंग कमेटी- गठन एवं दायित्वः

(क) स्क्रींनग कमेटी निम्नवत् गठित की जायेगी:-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन- अध्यक्ष
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन-सदस्य
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन- सदस्य
(4) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन- सदस्य
(5) अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन- सदस्य
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन-सदस्य सचिव

(ख) संस्कृति विभाग, उ0प्र0 में प्रमुख सचिव एवं सचिव दोनों की पदस्थता की स्थिति में उक्त कमेटी में प्रमुख सचिव सदस्य होंगे तथा सचिव सदस्य सचिव होंगे।

(ग) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक वित्तीय वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक कभी भी आयोजित की जायेगी।

(घ) सदस्य सचिव द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय से प्राप्त नामांकन की सूची/विवरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी उपरोक्त उल्लिखित विधाओं में प्राप्त नामांकनों में से मूर्धन्य कलाकारों/विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु संस्तुत नामों की सूची तैयार करेगी।

(ड.) स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7. प्रकाशनः 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' समारोह के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जायेगा।

8. प्रकीर्णः

(क) 'उ0प्र0 गौरव सम्मान' समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष उ0प्र0 दिवस के अवसर पर किया जायेगा।

(ख) सम्मान समारोह की गरिमा के अनुकूल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जायेगा। समारोह के आयोजन से संबंधित व्यय प्रतिवर्ष इस योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से किया जायेगा।

(ग) सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु सम्मानित विशिष्ट व्यक्तियों को आने-जाने का वायुयान या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित रेल का किराया तथा उनके 03 दिन के आवास एवं भोजन की उच्च स्तरीय व्यवस्था की जायेगी। इससे संबंधित व्यय प्रतिवर्ष इस योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से किया जायेगा।

(घ) सम्मान/पुरस्कार हेतु चयनित अत्यन्त वृद्ध एवं गंभीर रुप से अस्वस्थ अथवा दिव्यांग महानुभावों को सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु एक सहायक साथ लाने की अनुमति दी जायेगी। सहायक को आने-जाने, आवास एवं भोजन की वही सुविधायें दी जायेंगी जो बिन्दु 'ग' में सम्मानित व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, संस्कृति विभाग, उ0प्र0।
4. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
8. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
11. निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव